

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

14 ¹²/₁₇

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफेन

उप./अनुमस्थित। पीठारीन अधिकारी बोरे

/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम

कार्यवाही हेतु दिनांक 16-02-18

को पेश हो।

16 ⁰²/₁₈

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफेन

उप./अनुमस्थित। पीठारीन अधिकारी बोरे

/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम

कार्यवाही हेतु दिनांक 06-04-18

को पेश हो।

06 ⁰⁴/₁₈

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफेन

उप./अनुमस्थित। पीठारीन अधिकारी बोरे

/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम

कार्यवाही हेतु दिनांक 15-06-18

को पेश हो।

15 ⁰⁶/₁₈

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफेन

उप./अनुमस्थित। पीठारीन अधिकारी बोरे

/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम

कार्यवाही हेतु दिनांक 21-06-18

को पेश हो।

21 ⁰⁶/₁₈

पत्रावली आज राजस्व लोक

अदालत अभियान न्याय आगळे द्वार

2018 के तहत तैय्य व-यल अदल

सेवा केन्द्र लांपुवा मे पेश हुई।

वकील वादी उपवा वकील वादी

मे मुताबिक वकीलनामा प्रकवण

में डिक्ली जारी किये जाने का निवेदन

किया। वकील वादीगण के निवेदन

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

कोई आपत्ति जाहिर नही की।

पञ्जावली, पञ्जावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अपलोडन किया गया है। पेशाशुदा रिकबाली जवाब व राजीनामा का अपलोडन किया गया जिन्हें अपलोडन से एक लोक अदालत की आपना से वादीगण की वाप स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि :-

आदेश

तब ग्राम सांगुवा तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर अपस्थित छवि भूमि ख० नं० 537/104 रकबा 0.30 है व भूमि ख० नं० 538 रकबा 0.65 है के 116 हिस्सा की खातेदारी वादी नं० 2 के व 216 हिस्सा की खातेदारी वादी नं० 3 के नाम दर्ज की जावे तथा उक्त ख० नं० से प्रतिवादी सं० 1 का नाम हजफ किया जाता है। भूमि ख० नं० 803/104 रकबा 1.04 है की खातेदारी वादी सं० के नाम दर्ज की जाकर उक्त ख० नं० से प्रतिवादी सं० 1 का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल परामर्श से तदनुसार प्रकरण में पचा डिक्री सुर्तव हो। पञ्जावली पुस्तक श्रुमार लेकर मन्वर से वम हो तथा एक तहसील दफ्तर दफ्तर हो। निर्वय मजमे आम सुनाया गया।



(Signature)
 महारथ पाय
 (RAS)
 महायक कलेक्टर
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम..... खण्डेला.....

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान
① महादेव * बनाम ① हर्देव *

दावा बाबत हस्ताक्षर एक स लपट निवेदन

मुकदमा नम्बर :- 33/2017

निर्णय दिनांक :- 21/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी

..... मिनजानिब मुददई रुबरु श्री राजेश ख

..... मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दर न्याय लोपुवा तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर अर्वाकित खेति भूमि ख. नं. 537/1042 कवा 0.30 हे. व भूमि ख. नं. 538 कवा 0.65 हे. के 1/6 हिस्सा की खतैदारी वाली नं. 2 के व 2/6 हिस्सा की खतैदारी वाली नं. 3 के नाम दर्ज की जावे तथा उक्त ख. नं. से प्रतिवारी से 1 कनाप हजफ किया जाता है। भूमि ख. नं. 803/1041 कवा 1.04 हे. की खतैदारी वाली नं. 1 के नाम दर्ज की जाऊक उक्त ख. नं. से प्रतिवारी से 1 कनाप हजफ किया जाता है। उक्तदुसार एजस्व रैकॉर्ड में अमल दखद हो।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 21/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(भागीरथ शाख)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला(सीकर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

✳ पुत्र मंगलात्म

② लक्ष्मणसिंह पुत्र शंकर उर्फ हरिशंकर पुत्र मंगलात्म

③ रामोत्तमसिंह पुत्र शंकर उर्फ हरिशंकर पुत्र मंगलात्म
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम लोपुत्रा तहसील श्रीमधोपुर
जिला सीकर (राज.)



षनाम


— वादीगण

✳ पुत्र श्री मंगलात्म जाति जाट निवासी ग्राम लोपुत्रा तहसील
श्रीमधोपुर जिला सीकर (राज.)

② भूमिधारी तहसीलदार श्रीमधोपुर जिला सीकर (राज.)

③ पटवारी पटवार मण्डल चौमू प्रतेहितान तहसील श्रीमधोपुर
जिला सीकर (राज.)

— प्रतिवादीगण


जगदीश शर्मा
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फारम नं. १०) खण्डेला